

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री खेमराज

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 09/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 13.08.2022</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैंम्प में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम खीमा पिता एकलिंग गाडरी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम खेमराज अंकित है। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर खीमा व खेमराज को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली की आराजी नम्बर 1851/1325 रकबा 2 बीघा भूमि में खातेदार खीमा पिता एकलिंग गाडरी के बजाय खीमा उर्फ खेमराज पिता एकलिंग गाडरी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(कपिल कुमार कोठारी) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

